विज्ञप्ति

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी
शासकीय गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाईट: wwwgmc Bhopal फोन : 0755–4050000

क्रमांक/ 8633 /अधि0/एनएचएम(6)/2021/ भोपाल, दिनांक : 30 / 03 /2021

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म. प्र. के पत्र क्रमांक/ एन.एच.एम. एच. आर/सेल–01/2021/5154 दिनांक 19–03–2021 कोविड–19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु एवं बढ़ते हुए प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को 10 एम.एम.यू.टी. के लिये अतिरिक्त मानव संसाधन को निम्न निर्धारित मापदण्डों एवं मासिक मानदेय के आधार पर अस्थाई स्वीकृति दिनांक 31–05–2021 तक प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

स.क	पदनाम	योग्यता	कुल पद	मासिक मानदेय प्रतिमाह
01.	चिकित्सा अधिकारी	एम.बी.बी.एस.(मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं मध्यप्रदेश मेडिकल कौसिंल में जीवित पंजीयन।	10	60,000/–
02.	आयुष चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथिक)	बी.ए.सम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एच.एम.एस. (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यलालय) एवं म.प्र. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में जीविति पंजीयन/म.प्र होम्योपैथी परिषद में जीवित पंजीयन।	10	25,000/–
03.	दंत चिकित्सक	भारतीय डेन्टल काउसंलिग (डीसीआई), द्वारा मान्यता प्राप्त बी.डी.एस. की उपाधि। म. प्र राज्य डेन्टल काउसलिंग से स्थायी जीवित वैध पंजीयन । निर्धारित इर्न्टनशिप पूर्ण होन का प्रमाणपत्र।	10	25,000/–
04.	पैरामेडिकल स्टॉफ (लैब टेक्निशियन)	पैथलॉजी का 02 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीएमएलटी) अथवा पैथलॉजी का डिग्री पाठ्यक्रम का डिग्री पाठ्यक्रम (बीएमएलटी) अथवा पैथलॉजी का स्नातकोत्तर पाठ्क्रम (एमएमएलटी) एवं म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।	10	15,000/–

इच्छुक पात्र उम्मीदवार **वॉक इन इन्टरव्यू** में अपने निर्धारित शौक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र एवं मूलनिवासी एवं जाति प्रमाण पत्र के मूलदस्तावेजो की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ ले कर आये।

1. पूर्व में जमा समस्त आवेदन इस विज्ञप्ति के लिये के मान्य नही होगे। विज्ञापन के लिये प्राप्त आवेदन कीं स्कूटनी मे पात्र आवेदको के चयन आदेश की सूचना कालेज की

वेंबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। जिन्हे आदेश प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर अधिष्ठाता कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में उपस्थिति देनी होगी।

2. दस्तावेजः अभ्यार्थी को म0प्र0 चिकित्सा परिषद, .प्र. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में जीविति पंजीयन/म.प्र होम्योपैथी परिषद, म. प्र राज्य डेन्टल काउसलिंग, म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद से स्थायी जीवित पंजीकरण, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जातिप्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार से दस्तावेज पूर्ण न होने की स्थिति में आपको पात्र नहीं माना जाऐगा।
3. कोविड–19 महामारी की रोकथाम करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए आयु और वर्ग के मानक को शिथिल किया गया है। सभी 21 वर्ष से 60 वर्ष के आयु एवं वर्ग के पद अनुसार पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते है।
4. नियुक्ति अस्थायी दिनांक 31.05.2021 तक के लिए है। चयनित आवेदक नियुक्ति अवधि समांप्त होने के पश्चात संविदा या नियमित नौकरी के लियें पात्र नही माना जायेगा और न ही इसके लिये कोई दावा करेगा।
5. कोविड –19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये अनुबंधित है। आवेदक को चयन के पश्चात् नियुक्ति के समय 500 रू के अनुबंध का व्यय स्वयं करना पड़ेगा।

इस कार्यलय को बिना कारण बताये किसी भी समय यह विज्ञप्ति मे आशिंक रूप में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यलय, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिती में केवल न्यायालय भोपाल में परिषद हेंतु मान्य रहेगा।

30/03/21

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल